(2)

न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-60/2023

राज्य

बनाम्

सुषमा कुमारी वगैरह

-: आदेश :-

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 844/अप0शा0 दिनांक 26.04.2023 से बालुमाथ थाना काण्ड संख्या-63/2023 दिनांक-23.04.2023 में जप्त वाहनों को राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-63/2023 दिनांक-23.04.2023 से संबंधित है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि संजय चौधरी, सहायक अवर निरीक्षक, बालूमाथ थाना के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-63/2023 दिनांक-23.04.2023 दर्ज किया गया। संजय चौधरी, सहायक अवर निरीक्षक, को वरीय पदाधिकारी से सूचना प्राप्त हुई कि बालुमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बालुमाथ से होकर कुछ अवैध कोयला लदा मोटरसाईकल हेरहंज की ओर जाने वाली है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संजय चौधरी, सहायक अवर निरीक्षक, बालूमाथ थाना ने गश्ती दल के साथ बालुमाथ हेरहंज मार्ग पर गश्ती करते हुए पंचफेड़ी पुलिया के पास पहुंच कर समय करीब 06:00 बजे सशस्त्र बल के सहयोग से वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बालूमाथ की तरफ से तीन कोयला लदा मोटरसाईकल आता दिखाई दिया, जिसे सशस्त्र बल के द्वारा रूकने का ईशारा किया गया, तो कोयला लदा तीनों मोटरसाईकल चालक पचफेड़ी पुलिया से कुछ दुरी पहले अपनी-अपनी मोटरसाईकल खड़ी कर भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से दो मोटरसाईकल चालक को पकड़ा गया एवं एक मोटर साईकल चालक भागने में सफल रहा। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से बारी-बारी से नाम पता पूछने पर

अपना नाम 1. पिंटु कुमार, पिता–हेमराज साव, सा0–कुरलौंगा, थाना–टंडवा, जिला–चतरा, मोटर साईकिल रजि0 नं0–JH13C-9648, चेसीस नं0–MBLHA10BSGHD18662 का चालक एवं 2. मनोज कुमार, पिता–कोलेश्वर साव, सा0–टोटी हेसला, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार, मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH13E-5733 चेसीस नं0–MBLHAR85JHA31226 के चालक बताया। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से भागे हुए मोटर साईकिल रजि0 नं0–JH03AA-5362 के चालक का नाम पता पुछने पर जानकारी नहीं होने की बात कही गयी। तत्पश्चात उक्त दोनों मोटरसाईकल चालकों से कोयला से संबंधित कागजात की मांग करने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। कोयला के बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि ये मगध कोलियरी से अवैध तरीके से कोयला चोरी कर बालूमाथ क्षेत्र के विभिन्न ईट भट्ठा में बेचते हैं। तत्पश्चात् मोटरसाईकिल 1. रजि0 नं0–JH13C-9648, 2. रजि0 नं0–JH13E-5733 एवं 3. रजि0 नं0–JH03AA-5362 तथा तीनों मोटरसाईकल के बोरा व झोला में लदे 2–2 क्विंटल कोयला को वहां उपस्थित दो स्वंतत्र गवाहों के समक्ष विधिवत् जप्ति सूची बनाकर जप्त किया गया। जप्त मोटरसाईकिल 1. रजि0 नं0–JH13C-9648, 2. रजि0 नं0–JH13E-5733 एवं 3. रजि0 नं0– JH03AA-5362 तथा तीनों मोटरसाईकल पर लदे 2–2 क्विंटल कोयला को बालूमाथ थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। कोयला की चोरी करना एवं खरीद बिक्री करना एक संज्ञेय अपराध है। काण्ड में जप्त उक्त तीनों मोटरसाईकल एवं उसमें लदे लगभग 06 क्विंटल अवैध कोयला के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया।

विपक्षीगण को उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु विभिन्न तिथियों को नोटिस निर्गत किया गया तथा समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है

(3)

कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–63/2023 दिनांक–23.04.2023 में जप्त मोटरसाईकल में लदे कोयला से संबंधित कोई भी वैध कागजात विपक्षीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि मोटरसाईकल 1. रजि० नं०–JH13C-9648, 2. रजि० नं०–JH13E-5733 एवं 3. रजि० नं०–JH03AA-5362 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः मोटरसाईकल 1. रजि० नं०–JH13C-9648, 2. रजि० नं०–JH13E-5733 एवं 3. रजि० नं०–JH03AA-5362 एवं उनपर लदे कुल–06 क्विंटल अवैध कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन एवं जप्त कोयले की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहनों के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

08/7/24
उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:37:22 +05:30
Location: 192.168.164.143